जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- आजना
पटवार हल्का :- आजना
भू.अभि.नि. :- बोरी
तहसील :- गढ़ी
जिला :- बाँसवाड़ा

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1015
खाता संख्या पुराना :- 820

काश्तकार का नाम:-

1. सनराईज शिक्षण संस्थान परतापुर हिस्सा- पूर्ण खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा मंदत लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
8471/1	0.0300	भूरी कदीम	0.0300	0.00			
8471/3	0.0800	भूरी द्वितीय	0.0800	0.00			
9868/8471	0.0500	वाणिज्यिक आ.	0.0500	0.00			
कुल खसरे - 3	0.1600		0.1600				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 27-Dec-2019

NIC

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- गरनावट
पटवार हल्का :- आजना
भू.अभि.नि. :- बोरी
तहसील :- गढ़ी
जिला :- बाँसवाड़ा

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 73
खाता संख्या पुराना :- 63

काश्तकार का नाम:-

1. सचिव श्री सनराईज शिक्षण संस्थान परतापुर हिस्सा- पूर्ण खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
268	0.0900	आबादी	0.0900	0.00			
269	0.0600	भूरी द्वितीय	0.0600	0.00			
कुल खसरे - 2	0.1500		0.1500				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 2-Nov-2019

NIC

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- गरनावट
पटवार हल्का :- आजना
भू.अभि.नि. :- बोरी
तहसील :- गढ़ी
जिला :- बाँसवाड़ा

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 72
खाता संख्या पुराना :- 13

काश्तकार का नाम:-

1. सचिव श्री सनराईज शिक्षण संस्थान परतापुर हिस्सा- पूर्ण खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
270	0.1700	आबादी	0.1700	0.00		
कुल खसरे - 1	0.1700		0.1700			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।
नकल जारी करने की तिथि :- 2-Nov-2019

NIC

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- गरनावट
पटवार हल्का :- आजना
भू.अभि.नि. :- बोरी
तहसील :- गढ़ी
जिला :- बाँसवाड़ा

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 74
खाता संख्या पुराना :- 58

काश्तकार का नाम:-

1. सचिव सनराईज शिक्षण संस्थान परतापुर हिस्सा- पूर्ण खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
277	0.0200	भूरी द्वितीय	0.0200	0.00			
278	0.0200	वाणिज्यिक आ.	0.0200	0.00			
502/277	0.0200	वाणिज्यिक आ.	0.0200	0.00			
कुल खसरे - 3	0.0600		0.0600				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 2-Nov-2019

NIC

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- आजना
पटवार हल्का :- आजना
भू.अभि.नि. :- बोरी
तहसील :- गढ़ी
जिला :- बाँसवाड़ा

अंतिम चौसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1012
खाता संख्या पुराना :- 284

काश्तकार का नाम:-

1. सचिव श्री सनराईज शिक्षण संस्थान परतापुर हिस्सा- पूर्ण खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
8472	0.0800	भूरी प्रथम	0.0800	0.00			
8473	0.1300	भू.सा.ग.2	0.1300	0.00			
कुल खसरे - 2	0.2100		0.2100				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 27-Dec-2019

NIC

"प्रारूप – ग"

(देखें नियम 9 (1))

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज)

दिनांक -22 मई 2016

क्रमांक/[illegible]/1028-35

सम्परिवर्तन आदेश

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

(प्रकाश राजपुरोहित)
विहित प्राधिकारी
(जिला कलक्टर, बांसवाड़ा)

प्रतिलिपि – [illegible]

विहित प्राधिकारी
(जिला कलक्टर, बांसवाड़ा)

सचिव
जनराइज संस्था, परतापुर

"प्रारूप – ख"

(देखिए नियम 9 (1))

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज)

1920-27 दिनांक 27 मई 2016

सम्परिवर्तन आदेश

1	आवेदन आवेदन संख्या एवं उस तारीख जिस को उसे प्राप्त किया गया था	ऑनलाईन आवेदन पत्रानुसार आवेदक श्री विनय कुमार
2	उस खनिज आधार का नाम जो रूपान्तरित किया जाना है	चूना
3	रूपान्तरण पूर्व की स्थिति	
	(i) उस भूमि का विवरण जिसके संबंध में रूपान्तरण किया जाना है	आवेदन आवेदन संख्या 8472 8473, 8471/1, 8471/2, 8472 जिनके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 0.13 है जिस पर लगभग 0.22 है अर्थात 3300 मीट्रिक टन
	(ii) ऐसे खनिज आधार के संबंध में उपलब्ध अन्य जानकारी	अनावश्यक
	रूपान्तरण के लिए प्रस्तावित खनिज का नाम	
	(i) उस भूमि का विवरण जिसके संबंध में रूपान्तरण किया जाना है	आवेदित भूमि क्षेत्रफल 0.13 है
	(ii) ऐसे खनिज आधार के संबंध में उपलब्ध अन्य जानकारी	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 11.04.2015 द्वारा प्रति संलग्न है। आवेदन में वर्णित के अनुसार खनिज आधार का क्षेत्रफल 0.13 है।
4	उस खनिज का नाम जिसके संबंध में रूपान्तरण करने की इच्छा है	चूना
5	खनिज की मात्रा जो रूपान्तरित किया जाना है	चूना
6	रूपान्तरण के लिए दिनांक जिस को उसे प्राप्त किया गया था	11.04.2015
7	रूपान्तरण की फीस	(i) निर्धारित फीस की राशि की रसीद (ii) खान आवंटन की वार्षिक डिड्यादी रु 135240/- की जीव है।

आदेश सम्परिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :-

(रूकया बाबूपुरोहित)
विहित प्राधिकारी
(जिला कलक्टर, बांसवाड़ा)

अनुसूची

1. आवेदन आवेदन संख्या
2. आवेदित भूमि का विवरण
3. खनिज आधार का विवरण
4. अन्य जानकारी

सत्यापित
अतिरिक्त संचालक, पत्थरापुर

विहित प्राधिकारी
(जिला कलक्टर, बांसवाड़ा)

प्रारूप–ख

(देखिए नियम 9 (ए))

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज.)

संपरिवर्तन आदेश

क्रमांक 12/2010

क्रमांक / उप / 2010 / 167-172 दिनांक : 21 / 05 / 2010

श्रीमद् सनराईज शिक्षण संस्थान-परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा के आवेदन पर उसके खातेदारी अभिभूमि में धारित कृषि का गैरकृषि मुख-प्रयोजन (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(ए) में प्रदत्त अधिकारों के तहत मेरे से वाणिज्यिक (शिक्षण संस्थान) प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है :–

1	आवेदक खातेदार अभिभूमि का नाम पिता/ पति के नाम सहित तथा पूरा पता	श्रीमद् सनराईज शिक्षण संस्थान–परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	नहीं
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा –	
(क)	ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम	ग्राम ओजना ग्रा.प. ओजना पटवारी हल्का ओजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा
(ख)	भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	खाता संख्या 256 खसरा नं. 5471/1 रकबा 0.08 है. में से 0.05 है. कुल 0.05 है. अर्थात 500 वर्ग मीटर
(ग)	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल का उपदर्शित कराते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है. में या वर्ग. में.)	500 वर्गमीटर

4. अकृषि प्रयोग के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग का सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है ।

1	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (शिक्षण संस्थान)
2	संदेय प्रीमीयम की दर	10.00 रुपये प्रति वर्गमीटर
3	चालान की सं. तथा तारीख सहित जमा कराई गयी प्रीमीयम की रकम	चा.न. 52 दिनांक 13–05–2010 द्वारा मूल 5,000/– राशि जमा कराई
4	चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो	नहीं
5	चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गयी रकम	नहीं
6	क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है ।	नहीं
7	अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो ।	लगान संवत 2067 से नियमानुसार देनी होगा

5. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा ।

1. उपवर्णित अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमीयम धन समपहृत हो जायेगा ।
3. नियम-4 में वर्णित अभिदर्शित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोग के लिए नहीं किया जायेगा ।
4. वाणिज्यिक (शिक्षण संस्थान) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।
5. संपरिवर्तन भूमि पर निर्माण कार्य स्थानीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी से नक्शा/तामीरी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जाये ।
6. यह भूमि संपरिवर्तन आदेश सार्वजनिक निर्माण की मुख्य सड़क से 40 मीटर व ग्राम पंचायत की ग्रामीण सड़क सीमा के मध्य [illegible] मीटर की दूरी को छोड़कर किया जायेगा । साथ ही उक्त संपरिवर्तित भूमि के ऊपर से यदि बिजली की कोई लाईन जाती हो तो उसके नीचे निर्धारित सीमा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा । भूमि में कोई प्राकृतिक नाला निकलता हो तो उसे अवरुद्ध नहीं किया जायेगा ।

विहित प्राधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (गढ़ी)

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बांसवाड़ा 2. तहसीलदार गढ़ी को सूचनार्थ ।
3. ग.प.अ. हंसाकार, गढ़ी 4. ग्राम पंचायत ओजना 5. पटवारी हल्का ओजना ।
6. सचिव, सनराईज शिक्षण संस्थान–परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा ।

सचिव
सनराईज संस्था, परतापुर

विहित अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (गढ़ी)

प्रारूप–ख

(देखिए नियम 9 (ए))

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज.)

संपरिवर्तन आदेश

क्रमांक / एस/2010/1971-72 दिनांक : 21/05/2010

अतः, सनराईज शिक्षण संस्थान–परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा के आवेदन पर उसके खातेदारी अभिभूमि में धारित कृषि का राजस्थान भू–राजस्व (प्रावीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(ए) में प्रदत्त शक्तियों के तहत कृषि से वाणिज्यिक (शिक्षण संस्थान) प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है :–

1	आवेदक खातेदार अभिभारी का नाम पिता/ पति के नाम सहित तथा पूरा पता	सचिव, सनराईज शिक्षण संस्थान–परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	नहीं
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :–	
(अ)	ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम	ग्राम ओजना ग्रा.प. ओजना पटवारी हल्का ओजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा
(ब)	भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	खाता संख्या 256 सर्वे नं. 8471/1 रकबा 0.08 है. में से 0.05 है. कुल 0.05 है. अर्थात 500 वर्ग मीटर
(स)	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल का उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (है. में या व.मी. में)	500 वर्गमीटर
4	अकृषि प्रयोग के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग का सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है ।	
1	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (शिक्षण संस्थान)
2	संदेय प्रीमियम की दर	10.00 रुपये प्रति वर्गमीटर
3	चालान की सं. तथा तारीख सहित जमा कराई गयी प्रीमियम की रकम	चा.न. 52 दिनांक 13–05–2010 द्वारा मूल 5,000/– राशि जमा कराई
4	चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो	नहीं
5	चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, को जमा करायी गयी रकम	नहीं
6	क्या आदेश नियत मेटिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है ।	नहीं
7	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो ।	लगान संवत 2067 से नियमानुसार देनी होगा
8	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा ।	

1. प्रस्तुत अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम धन समपहृत हो जायेगा ।
3. नियम–4 में वर्णित अपरिवर्तित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोग के लिए नहीं किया जायेगा ।
4. वाणिज्यिक (शिक्षण संस्थान) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।
5. संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य स्थानीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी से नक्शा/तामीरी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जावे ।
6. यह भी संपरिवर्तन आदेश सार्वजनिक निर्माण की मुख्य सड़क से 40 मीटर व ग्राम पंचायत की डामरीय सड़क सीमा से मध्य [illegible] 25 मीटर की दूरी को छोड़कर किया जावेगा । साथ ही उक्त संपरिवर्तित भूमि के ऊपर से यदि बिजली की कोई लाईन जाती हो तो उसके नीचे निर्धारित सीमा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा । भूमि में कोई प्राकृतिक स्रोत [illegible] उसे अवरुद्ध नहीं किया जावेगा ।

विहित प्राधिकारी [illegible]

उपखण्ड अधिकारी (ए.टी.)
(उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी)

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बांसवाड़ा 2. तहसीलदार गढ़ी को सूचनार्थ ।
3. पटवारी, गढ़ी 4. ग्राम पंचायत ओजना 5. पटवारी हल्का ओजना ।
6. सचिव, सनराईज शिक्षण संस्थान–परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा ।

सचिव
सनराईज शिक्षण संस्था, परतापुर

विहित अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी)

प्रारूप–ख

(देखिए नियम 9 (ए))

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज.)

संपरिवर्तन आदेश

दिनांक : 21/05/2010

ग्राम पंचायत–परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा के आवेदन पर उसके खातेदारी अभिभूति में धारित कृषि भूमि (राजीव गांधी में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(ए) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये वाणिज्यिक (शिक्षण संस्थान) प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है :–

1. आवेदक खातेदार अभिभूति का नाम पिता/ पति के नाम सहित जिसे भूमि पट्टा	सचिव, सनराईज शिक्षण संस्थान–परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	नहीं
3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :–	
(क) ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम	ग्राम परनावट ग्रा.प. ऑजना पटवारी हल्का ऑजना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा
(ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	खाता संख्या 16 सर्वे नं. 277 रकबा 0.04 है. में से 0.02 है. एवं सर्वे नं. 278 रकबा 0.02 है. कुल 0.04 है. अर्थात 400 वर्ग मीटर
(ग) उक्त खसरा संख्या के क्षेत्रफल का उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (है. में या व.मी. में)	400 वर्गमीटर

4. भूमि के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग का सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है ।

संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (शिक्षण संस्थान)
प्रीमियम की दर	10.00 रुपये प्रति वर्गमीटर
चालान की सं. तथा तारीख सहित जमा कराई गयी प्रीमियम की रकम	चा.न. 53 दिनांक 13–05–2010 द्वारा मूल 4000/– राशि जमा कराई
चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो	नहीं
चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं
क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है ।	नहीं
अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो ।	लगान संवत 2067 से नियमानुसार लगी होगा

5. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा ।

1. संपरिवर्तित कृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा ।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमीयम धन समपहृत कर लिया जावेगा ।
3. पैरा–4 में वर्णित उपदर्शित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोग के लिए नहीं किया जावेगा ।
4. वाणिज्यिक (शिक्षण संस्थान) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से लिखित मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा ।
5. संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य स्थानीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी से नक्शा/तामीरी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जावे ।
6. इस आदेश संपरिवर्तन आदेश सार्वजनिक निर्माण की मुख्य सड़क से 40 मीटर व ग्राम पंचायत की ग्रामीण सड़क सीमा के मध्य न्यूनतम 12.5 मीटर की दूरी को छोड़कर किया जावेगा । साथ ही उक्त संपरिवर्तित भूमि के ऊपर से यदि बिजली की कोई लाईन जाती हो तो उसके नीचे निर्धारित सीमा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा । भूमि में कोई प्राकृतिक नाला प्रवाहित है तो उसे अवरुद्ध नहीं किया जावेगा ।

विहित प्राधिकारी की मुहर

विहित अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी)

प्रतिलिपि :–

1. जिला कलक्टर महोदय बांसवाड़ा 2. तहसीलदार गढ़ी को पालनार्थ ।
3. [illegible] गढ़ी 4. ग्राम पंचायत ऑजना 5. पटवारी हल्का ऑजना ।
6. सचिव, सनराईज शिक्षण संस्थान–परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा ।

विहित अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी)

सचिव
सनराईज शिक्षण संस्था, परतापुर